फर्द–अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रॉट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुम्बई – 400038		1. राजू राम पुत्र सीता राम जाटो का बास झुझण्डा, नागौर राजस्थान 341026 2. शारदा पत्नी राजा राम जाटो का बास झुझण्डा, नागौर राजस्थान 341026

किस्म मुकदमा – सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 संख्या– 199 **सन् 2025**
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2025 / 242

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26.12.25	प्रार्थी **सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड** की ओर से अधिवक्ता रीना वर्मा ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 **Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की तथा मुख्यतः यह कथन किया कि प्रार्थी/बैंक/कंपनी/**FINOVA CAPITAL PVT LTD** ने अप्रार्थीगण को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी, जिसकी ऐवज में प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति को प्रार्थी/बैंक/कंपनी के हक में बंधक रखा था, किन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार किश्तों की समय पर अदायगी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. श्रेणी में वर्गीकृत कर अप्रार्थीगण को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, किन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी की बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी उक्त बंधकशुदा संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। **FINOVA CAPITAL PVT LTD** और **CFM ASSET RECONSTRUCTION PVT. LTD.** के बीच में एग्रीमेन्ट टू असाईनमेन्ट दिनांक 31.12.2024 के आधार पर हमारे द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के पक्ष में बंधक रखी गई संपत्ति का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी को दिलाये जाने के संबंध में नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे। सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तथा संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्य आये है–	

क्र.सं.	ऋण संबंधित सूचना	विवरण
1.	मूल ऋणी व बंधनकर्ता	राजू राम
2.	सहऋणी	शारदा
3.	ऋण स्वीकृत दिनांक	19.08.2022
4.	ऋण स्वीकृत राशि	4,00,000/–
5.	एन.पी.ए. दिनांक	01.09.2023
6.	कुल बकाया राशि	6,38,322/–

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

7.	नोटिस भिजवाने की दिनांक	01.03.2025
8.	नोटिस तामील की दिनांक	20.03.2025
9.	बंधक रखी गई सम्पत्ति का विवरण	**पट्टा क्रमांक 78, ग्राम झुझण्डा, थाना मूण्डवा, जिला नागौर, राजस्थान 341026, क्षैत्रफल 616 वर्गफुट है। जिसके पडौस इस प्रकार है– उत्तर में जगदीश का बाड़ा है, दक्षिण में गली है, पूर्व में निकाल व आम रास्ता है एवं पश्चिम में जीतराम का घर है,**

इस प्रकार न्यायालय के समक्ष यह तथ्य परिलक्षित है कि ऋणी व सहऋणी द्वारा उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया गया है और उनके द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर ऋण खाता एनपीए घोषित कर दिया गया, इसके पश्चात नियमानुसार धारा 13(2) सरफेसी एक्ट का नोटिस दिए जाने और उसकी तामील होने के बावजूद विहित समयावधि के अन्दर ऋणी व सहऋणी द्वारा शेष ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में जो सम्पत्ति बंधक रखी गई है, उसका कब्जा प्रार्थी/बैंक प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी **सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड** के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 14 Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अचल सम्पत्ति **पट्टा क्रमांक 78, ग्राम झुझण्डा, थाना मूण्डवा, जिला नागौर, राजस्थान 341026, क्षैत्रफल 616 वर्गफुट है। जिसके पडौस इस प्रकार है– उत्तर में जगदीश का बाड़ा है, दक्षिण में गली है, पूर्व में निकाल व आम रास्ता है एवं पश्चिम में जीतराम का घर है,** का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के अधिकृत अधिकारी को दिलाये जाने हेतु नियमानुसार पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, नागौर को आदेशित किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर